रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 1 जुलाई, 2004/10 आषाढ़, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 1 जुलाई, 2004

संख्या वि0 स0-गवर्नमैंट बिल/1-40/2004.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2004

1031-राजपत्र/2004-1-7-2004—1,414. मूल्य : 1 रुपया।

(2004 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 1 जुलाई, 2004 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाजटा,
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

2004 का विधेयक संख्यांक 11.

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुर: स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 (1970 का 10) का संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2004 है । संक्षिप्त नाम ।

1970 का 10

2. हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 2 की उप-धारा (1) में, विद्यमान खण्ड (xxxiii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 2 का संशोधन ।

"(xxxiii) "वर्ष" से ब्रिटिश कलैण्डर के अनुसार संगणित वर्ष अभिप्रेत है ।" ।

4800

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) में, शब्दों "पचास रुपये" और "दो सौ रुपये" के स्थान पर क्रमश: "पांच सौ रुपये" और "दो हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे । धारा 6 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) में, विद्यमान खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 13 का संशोधन ।

"(ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को, विहित फीस के संदाय पर पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा ।" ।

5. मूल अधिनियम की धारा 20 में,— धारा 20 का संशोधन ।

(क) उप-धारा (6) में, "पांच रुपये" शब्दों के स्थान पर "पचास रुपये" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) उप-धारा (7) में, "पच्चीस रुपये" और "दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर क्रमश: "पांच सौ रुपये" और "दो हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे ।

6. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) में, "पच्चीस रुपये" और "दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर क्रमश: "पांच सौ रुपये" और "दो हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे । धारा 21 का संशोधन ।

धारा 25 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

(क) "एक सौ रुपये" और "तीन सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "एक हजार रुपये" और "दो हजार रुपये" शब्द रखें जाएंगे ; और

(ख) परन्तुक में, "एक सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपये" शब्द रखें जाएंगे।

धारा 25-क का अन्तः-स्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"25-क. **कतिपय अपराधों का शमन**.—(1) धारा 20 की उप-धारा (7) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी अपराध का, या तो अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व या पश्चात्, सरकार की अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी, जो दुकान और वाणिज्यिक स्थापन के मुख्य निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा ऐसी रकम के लिए, जो पांच सौ रुपये से कम नहीं होगी परन्तु दो हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, शमन किया जा सकेगा।

(2) जहां किसी अपराध का उप-धारा (1) के अधीन शमन कर दिया गया है तो अपराधी को, यदि अभिरक्षा में हो, छोड़ दिया जाएगा और उसके विरुद्ध ऐसे अपराध के लिए कोई अन्य कार्यवाहियां नहीं की जा सकेंगी :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति प्रथम अपराध के शमन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनः वैसा ही अपराध करता है तो उसका शमन नहीं किया जाएगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 दुकान और वाणिज्यिक स्थापनों में कार्य और नियोजन की शर्तों को विनियमित करता है। समय के साथ-साथ उपर्युक्त अधिनियम के कतिपय उपबन्ध अप्रभावी हो गए हैं। इसलिए, अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए, इसमें उपयुक्त रूप से संशोधन करना आवश्यक समझा गया है। पद "वर्ष" की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए पुनः शब्दाभिव्यक्त किया गया है। अधिनियम की धारा 13 के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नवीकरणीय है। दुकान और वाणिज्यिक स्थापनों के अधिक संख्या के नियोजकों की सहूलियत के लिए, पांच वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने का विनिश्चय किया गया है और तत्पश्चात् उसे पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जाए। इससे विभाग का व्यय और कार्य की अधिकता (वर्कलोड) भी घट जाएगी। उपर्युक्त अधिनियम में, इसके उपबन्धों के उल्लंघन के लिए, उपबंधित जुर्माना नगण्य है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन न हो और अपराधियों के साथ कठोरता से निपटा जाए, जुर्माने में वृद्धि करने और शास्ति उपबन्धों को अधिक कठोर बनाने का विनिश्चय किया गया है।

वर्तमानतः उपर्युक्त अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी अपराध शमनीय नहीं है। अब यह विनिश्चय किया गया है कि अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (7) के अधीन किए गए अपराधों के सिवाय, समस्त अपराध सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो दुकान और वाणिज्यिक स्थापन के मुख्य निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा शमनीय बनाए जाएं। इससे विभाग का कागजी कार्य (पेपर वर्क) और व्यय भी कम हो जाएगा और साथ ही इससे विभाग को आय भी हो जाएगी। इससे न्यायालयों का कार्यभार भी घट जाएगा और न्यायालय अन्य गम्भीर प्रकृति के मामलों में अधिक समय देने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करने आवश्यक हो गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

सत महाजन,
प्रभारी मन्त्री,

शिमला :
तारीख.....जून, 2004.

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तंत्र द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे और इससे राजकोष पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2004

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 (1970 का 10) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

सत महाजन,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख.....जून, 2004.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 11 of 2004.

THE HIMACHAL PRADESH SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL, 2004

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (Act No. 10 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2004.

Amendment of section 2.

10 of 1970

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (hereinafter referred to as the "principal Act", in sub-section (1), for the existing clause (*xxxiii*), the following shall be substituted, namely:—

"(*xxxiii*) "year" means a year reckoned according to the British Calender.".

Amendment of section 6.

3. In section 6 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "fifty rupees" and "two hundred rupees", the words "five hundred rupees" and "two thousand rupees" shall respectively be substituted.

Amendment of section 13.

4. In section 13 of the principal Act, in sub-section (2), for the existing clause (*ii*), the following shall be substituted, namely:—

"(*ii*) the registration certificate shall, on payment of prescribed fee, be renewed for a period of five years.".

Amendment of section 20.

5. In section 20 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (6), for the words "five rupees", the words "fifty rupees" shall be substituted ; and

(*b*) in sub-section (7), for the words and sign "twenty-five rupees" and "two hundred rupees", the words "five hundred rupees" and "two thousand rupees" shall respectively be substituted.

Amendment of section 21.

6. In section 21 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and sign "twenty-five rupees" and "two hundred rupees", the words "five hundred rupees" and "two thousand rupees" shall respectively be substituted.

Amend-ment of section 25.

7. In section 25 of the principal Act,—

(*a*) for the words "one hundred rupees" and "three hundred rupees", the words "one thousand rupees" and "two thousand rupees" shall respectively be substituted ; and

(*b*) in the proviso, for the words "one hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

Insertion of section 25A.

8. After section 25 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"25*A*. *Composition of certain offences.*—(1) Save as provided in sub-section (7) of section 20, any offence, may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by any officer not below the rank of Chief Inspector of Shops and Commercial Establishment, authorised by the Government, by notification, for an amount which shall not be less than five hundred rupees but shall not exceed two thousand rupees.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence:

Provided that if a person commits similar offence again within the period of one year from the date of composition of first offence, the same shall not be compounded.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 regulates conditions of works and employment in Shops and Commercial Establishments. With the passage of time certain provisions of the Act *ibid* have become ineffective. Thus, in order to make the Act more effective, it has been considered essential to suitably amend the same. The definition of the expression "year" has been reworded so as to make it more clear. The registration certificate issued under section 13 of the Act is renewable every year. In order to facilitate employers of the large number of shops and commercial establisments, it has been decided to issue registration certificate for a period of five years and thereafter be renewed for further period of five years. This will also reduce the expenditure and the work load of the Department. The quantum of fine provided under the Act *ibid* for contravention of the provisions thereof, is negligible. Thus in order to ensure that the provisions of the Act *ibid* are not contravened and the offenders are dealt with stringently, it has been decided to enhance the quantum of fine and to make the penalty provisions more stringent.

Presently, no offence committed under the Act *ibid*, is compoundable. Now, it has been decided that all offences, except offences committed under sub-section (7) of section 20 of the Act, be made compoundable by an officer not below the rank of Chief Inspector of Shops and Commercial Establishment, authorised by the Government. This will reduce the paper work and expenditure of the Department and at the same time it will also generate income to the Department. This will also reduce the work load of the courts and will enable the courts to devote more time to the other cases of serious nature. This has necessitated the amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

SAT MAHAJAN,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

Dated ..... June, 2004.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of this Bill, if enacted, will be implemented through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure out of the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil

THE HIMACHAL PRADESH SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL, 2004

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (Act No. 10 of 1970).

SAT MAHAJAN,
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law.)

SHIMLA :

Dated ..... *June*, 2004.

निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित